प्रदेश सोन के 1.25 मिलियन एकड़ फुट जल का उपयोग कर सकता है।

(ख) और (ग) अन्तरराज्यीय एवं अन्य मामलों का निपटान न होने के कारण केन्द्र सरकार ने इस परियोजना का अनुमोदन नहीं किया है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च, 1998 तक इस परियोजना पर 40.92 करोड़ रुपए का व्यय कर दिया है।

उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मध्य सोन नदी के जल का बंटवारा

1855. **श्री मनोहर कान्त ध्यानी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार ने वर्ष 1973 में सोन नदी के जल के बारे में एक समझौता किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग ने नदी के कुल जल का आकलन 16.37 एस०ए०एफ किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि जल के बंटवारे पर उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के मध्य क्रमशः 1.25, 7.5 और 5.25 एस०ए०एफ० की मात्रा पर सहमति हुई थीं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा वर्ष 1993 में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के बाद भी केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में अन्तिम निर्णय न करने से यह समझौता लागू नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) जी, हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा गठित किए गए सोन नदी आयोग ने 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें इन्द्रापुरी में सोन बेसिन की पैदावार 75% विश्वसनीयता पर 16.37 मिलियन एकड़ फुट दिखाई गई थी।

(ग) समझौते के अनुसार उत्तरप्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लिए जल का आबंटन क्रमशः 1.25, 7.75 और 5.25 मिलियन एकड़ फुट है।

(घ) जी, नहीं। तथापि सभी बेसिन राज्यों के सहमत न होने के कारण सोन नदी आयोग द्वारा आकलित अतिरिक्त जल का आबंटन नहीं किया गया है।

Recommendations by Dr. Alagh Committee on Cauvery Water Dispute

1856. SHRI S. M. KRISHNA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether his Ministry have gone into the recommendations given by Dr. Alagh Committee set up regarding Cauvery water dispute; if so the details of such study including the reaction thereto;

(b) whether Government have agreed to implement the recommendations of the said Committee; and

(c) what are the salient points of Dr. Alagh Committee report and specific amongst them from practical point of view?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) to (c) Ministry of Water Resources appointed an Expert Group on 2nd January, 1996 comprising of Dr. Y.K. Alagh, Dr. Bharat Singh and Mr. S.P. Caprihan for an On-the-Spot Assessment of the standing crops in the Mettur Ayacut area of Tamil Nadu and Cauvery Ayacut area in Karnataka in connection with suit filed by Tamil Nadu in December, 1995 in the Supreme Court. The Expert Group submitted its report on 19th January, 1996 to Ministry of Water Resources. The main recommendations *inter-alia* contained in the report are as below:—

(i) Keeping in view, the shortage of water in both States, Karanataka must ensure availability of 11.4 TMC of water as due to Tamil Nadu from January to May.

(ii) However, to mitigate the problem of shortage in Tamil Nadu particularly in the months of January February and March when the demand will be at peak, the availability during these months may be augmented so as to enhance availability at Mettur Dam of an additional

2.5 TMC which may be adjusted from the releases due in April and May. The timing of such releases is very critical.

The then Prime Minister conveyed the main recommendations of the Expert Group on 2.2.1996 to Government of Karnataka with a copy to other Cauvery Basin States.

Linking of Ganga and Cauvery

1857. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether the National Water Development Agency has finalised a prefeasibility report for linking of the Ganga with Cauvery through various water transfer links;

(b) if so, the details thereof alongwith follow up action taken/proposed by the State Governments and Union Authorities; and

(c) details of action plan formulated by the National Commission for Integrated Water Resources Development to mitigate the damage and losses caused by the Recurrent floods and droughts?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI SOMPAL): (a) Yes, Sir.

(b) After completion of feasibility reports, agreements among concerned States will have to be reached and Detailed Project Reports (DPR) will have to be prepared and approved before considering implementation of these proposals.

(c) The National Commission has not submitted its report.

मालवा क्षेत्र में भूजल स्तर में गिरावट

1858. **श्री राधाकिशन मालवीय:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में भूजल स्तर काफी नीचे चला गया है और संकटपूर्ण स्थिति निर्मित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) भूजल स्तर में गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोमपाल): (क) से (घ) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में ब्लाक स्तर पर भूजल स्तर की स्थिति का आकलन किया है। उनके विश्लेषण से यह पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में भूजल स्तर में 4 मीटर से अधिक की गिरावट आयी है। इसका विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है। **(नीचे देखिये)**

(ङ) इस क्षेत्र में भूजल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(i) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने भूजल स्तर में होने वाली गिरावट को रोकने के लिए भूजल संरक्षण एवं पुनर्भरण के लिए मंदसोर ब्लाक को अभिज्ञात किया है।

(ii) केन्द्रीय भूजल बोर्ड भी राज्य के जल संसाधन विभाग को पुनर्भरण स्कीमें तैयार करने में तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है।

(iii) मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा शाजापुर और गुना जिलों में परकोलेशन टैंकों का निर्माण कार्य किया जा रहा है।

(iv) राज्य सरकार द्वारा दो उप सतही डाइक का निर्माण किया गया है जिसमें एक राजगढ़ और देवास जिले के लिए है।